

प्रलेप 21क
 (नियम 11 (1) देखिए)
 (द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2010

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पट्टि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री तरुण विजय,

35, घोसी गली, देहरादून, उत्तराखण्ड [जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं]

उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 04 जुलाई, 2010 को निवृत हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : देहरादून।

तारीख: 10 जून, 2010

(महेश चन्द्र)

रिटर्निंग आफिसर

उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित,
 सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक,
 निर्वाचन के लिए।

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(पट्टि कार्यालय)

संख्या : ५५५९ वि०स०/१४०/पट्टि/२०१०

देहरादून, दिनांक : १८ जून, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
- 2- सचिव, भारत सरकार, विधि, व्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली,
- 3- महासचिव, राज्य सभा सचिवालय कमरा सं०-३३ टेबल आफिस, संसद भवन, नई दिल्ली।
- 4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून,
- 5- निर्वाचित अभ्यर्थी,
- 6- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून को इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करें।
- 7- केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून,
- 8- सहायक निदेशक, समाचार, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी, देहरादून को इस निवेदन के साथ की उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।

(महेश चन्द्र)

रिटर्निंग आफिसर



उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित,
 सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक,
 निर्वाचन के लिए।